

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 1358 / FP/UK/ROAD/20872/2016 देहरादून: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत महिडाण्डा मोटर मार्ग से बग्यालगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.731 हैं वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्त्तन। FP/UK/ROAD/20872/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 हैं से कम क्षेत्रफल तथा प्रति हैं 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/20872/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, उत्तरकाशी।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत महिडाण्डा मोटर मार्ग से बग्यालगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.731 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/20872/2016

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु जनपद उत्तरकाशी वनप्रभाग में 0.682 है 0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.049 है 0 राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 0.731 है 0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क मोटर मार्ग से बग्यालगौंव हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार मा.व.से.)

अपर अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : २४/१०/२०१७

स्थान : देहरादून